

सत्यनिष्ठा समझौता

वफ़ादारी संधि (आईपी) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टी आई) द्वारा विकसित एक उपकरण है जो सरकारों, व्यापार और सिविल सोसायटी मदद करने के लिए हैं जो, सार्वजनिक करार और खरीद के क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन (एनएफएल) और उसके प्रतिपक्षों (बोलीदाताओं, ठेकेदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाता / कंसल्टेंट्स आदि) के बीच एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियंत्रण रखने तथा कंपनी को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त रखते हुए एनएफएल ने अपने प्रयासों को एक रूप में बनाए रखने के लिए और सबसे अधिक नैतिक बढ़ावा, वफ़ादारी संधि और भ्रष्टाचार मुक्त कारोबारी माहौल अपनाने का फैसला किया है. तदनुसार, एनएफएल द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (पारदर्शिता इंटरनेशनल के भारतीय अध्याय) के साथ वफ़ादारी संधि पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 9 मई 2014 को हस्ताक्षर किए गए.

सत्यनिष्ठा समझौते का उद्देश्य प्रिंसीपल (एनएफएल) और प्रतिपक्षों के बीच एक समझौते के माध्यम से ठेके के दौरान भ्रष्टाचार को कम करने से है। समझौता दोनों दलों के व्यक्तियों / अधिकारियों में प्रतिबद्धता चाहता है कि वे किसी भी मांग, उपहार या रिश्वत स्वीकार नहीं करेंगे। केवल वही विक्रेता /बोलीदाता/ खरीदार बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य हैं जो इस तरह एक अखंडता के साथ संधि में प्रवेश करेंगे.

वफ़ादारी संधि स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और सत्यनिष्ठा समझौते के तहत संबंधित पक्षों उनके संबंधित दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है. नामित गतिविधियों की निगरानी के लिए दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEMs) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श करेंगे. 1 (एक) करोड़ रुपये का मूल्य की या उससे ऊपर की निविदाओं के लिए संबंधित शिकायत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEMs) को भेजी जा सकती है:

(IEMs)

- 1 श्री प्रमोद दीपक सुधाकर
ए-002, स्टेलर पार्क अपार्टमेंट,
सी-58/24, सेक्टर-62, नौएडा (यूपी) 201 301
e-mail : sudhakarpd@gmail.com
- 2 श्री अजय कुमार
2601, टावर सी, अशोक टावर,
भारत माता सिनेमा के सामने, परेल(ईस्ट)
मुम्बई- 400012 (महाराष्ट्र)
e-mail : ajai.kumar3@gmail.com

(सादे कागज पर निष्पादन के लिए और तकनीकी बोली / निविदा दस्तावेज के 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य वाले निविदाओं के साथ प्रस्तुत किया जाना है। बोली लगाने वाले और एनएफएल द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) एतद के द्वारा "निम्नलिखित रूप में अनुसंशित
प्रिंसीपल एवं
एतद के द्वारा बोलीदाता / ठेकेदार के रूप में अनुसंशित

प्रस्तावना

प्रिंसीपल नीचे दर्शायी संगठनात्मक प्रक्रियाओं अनुबंध /अनुबंधों के लिए _____के तहत पुरस्कृत करना चाहता है. प्रिंसीपल देश के सभी प्रासंगिक कानूनों के अनुपालन, नियमों, विनियमों, आर्थिक उपयोग और उसके बोलीदाता और / ठेकेदार के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता के लिए मूल्यांकन करता है.

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसीपल एक स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम)को नियुक्त करेंगे जो, सिद्धांतों के उल्लेख के अनुपालन के लिए अनुबंध का निष्पादन व निविदा प्रक्रिया पर निगरानी करेंगे.

धारा 1 - प्रिंसीपल की प्रतिबद्धताएं

1. प्रिंसीपल सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने में खुद को प्रतिबद्ध मानते हैं।
 - (क) प्रिंसीपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत या परिवार के माध्यम से निविदा के सम्पर्क में, अनुबंध निष्पादन के लिए मांग के लिए वादा ले अपने, या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या सारहीन लाभ के लिए जो व्यक्तिगत कानूनी तौर पर हकदार नहीं है के लिए कोई वादा ले।
 - ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रिंसीपल सभी बोलीदाता को इक्विटी और कारण के साथ लें. प्रिंसीपल निविदा प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से सभी बोलीदाता को एक ही जानकारी प्रदान करें और किसी भी बोलीदाताको गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी न जिसके माध्यम से बोलीदाता प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके।
 - ग) प्रिंसीपल सभी मुख्य पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देंगे।
2. प्रिंसीपल अगर किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि आईपीसी / पीसी एक्ट के तहत एक अपराध है और यहां इसके लिए एक ठोस संदेह हो वहाँ प्रिंसीपल अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करें. और इसके अलावा में आरंभ कर सकते हैं।

धारा 2 - बोलीदाता / ठेकेदार (ठेकेदारों) की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता / कांट्रेक्टर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के सभी आवश्यक उपाय अपनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध है। प्रक्रिया और अनुबंध निष्पादन तथा निरीक्षण करने के लिए के दौरान या निविदा में अपनी भागीदारी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाने में खुद प्रतिबद्ध है।
 - (क) बोलीदाता / ठेकेदार सीधे या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रिंसिपल के कर्मचारियों को किसी भी माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को निष्पादन, करने के लिए या निष्पादन के दौरान प्राप्त अनुबंध निविदा प्रक्रिया या प्रक्रिया में शामिल किसी भी सामग्री के अनुबंध की जिसका वह कानूनी तौर पर करने के लिए हकदार नहीं है या जिससे अन्य लाभ विनिमय होगा के लिए वादा प्रस्तुत न करे।
 - (ख) बोलीदाता / कांट्रेक्टर के किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक अन्य बोलीदाताओं के साथ प्रवेश नहीं करेगा यह कीमतों के लिए विनिर्देशों, प्रमाणपत्र, सहायक अनुबंध, प्रस्तुतया बोली या किसी भी अन्य कार्यों के गैर प्रस्तुत करने को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिस्पर्धा या बोली में कार्टलाइजेशन लागू करने के लिए प्रक्रिया में विशेष रूप से लागू होता है।
 - (ग) बोलीदाता/ कांट्रेक्टर आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत किसी भी तरह का अपराध नहीं करेगा. बोलीदाता / ठेकेदारों प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रतियोगिता या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा वह लाभ, के लिए किसी भी जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर पारित व्यापार संबंधों के एक भाग के रूप में, योजना, तकनीकी प्रस्तावों और व्यापार के विवरण के बारे में, निहित या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित जानकारी भी दूसरों को प्रस्तुत नहीं करेगा।
 - (घ) बोलीदाता / ठेकेदार जो विदेशी मूल का हो उसे भारत में प्रतिनिधि, यदि कोई हो के नाम व पता का खुलासा करेगा और एजेंटों / इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता वाले ठेकेदार को विदेशी प्रिंसिपल का नाम व पता, यदि कोई हो प्रस्तुत करना पड़ेगा। सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट / प्रतिनिधि के लिए जाएंगे।
 - (ङ) बोलीदाता / कांट्रेक्टर को उसकी बोली पेश करते समय किसी भी एजेंट, दलाल को किए सभी भुगतान या अनुबंध के पुरस्कार के सिलसिले में किसी भी अन्य बिचौलियों को बनाने का इरादा रखता है का खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. बोलीदाता / कांट्रेक्टर के तीसरे व्यक्तियों को ऊपर उल्लिखित अपराध या इस तरह के लिए एक सहायक अपराधी बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।

धारा 3 निविदा प्रक्रिया और भविष्य अनुबंध से बहिष्कार से निरहता

बोलीदाता / कांट्रेक्टर अनुबंध से पहले निष्पादन प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त धारा 2 के उल्लंघन करके पहले से ही हस्ताक्षर किए या निविदा प्रक्रिया के लिए, अनुबंध समाप्त करने के अपराध के लिए प्रतिबद्ध है तो ऐसे में उनकी विश्वसनीयता या साख प्रश्न में डाल दे तो प्रिंसिपल इन कारणों से बोलीदाता / कांट्रेक्टर को अयोग्य घोषित करने का हकदार है।

धारा 4: क्षति के लिए मुआवजा

1. प्रिंसिपल बोलीदाता (ओं) को धारा 3 के अनुसार निविदा से पूर्व अयोग्य घोषित कर देता है तो प्रिंसिपल जमा पूंजी / बोली सुरक्षा के बराबर मांग और हर्जाना की पूर्ति के हकदार है।

2. प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या अनुबंध समाप्त करने का हकदार है तो प्रिंसिपल संविदा मूल्य के ठेकेदार के अनुसार बैंक गारंटी राशि के बराबर नष्ट नुकसान ठीक करने के लिए हकदार होगा।

धारा 5: पिछला अपराध

1. बोलीदाता साबित कर सकता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निविदा प्रक्रिया से पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ टीआईआई के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के लिए या किसी अन्य के साथ चित्य के अनुरूप कोई उल्लंघन किया गया है।
2. बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान करता है, वह निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसके लिए उचित कार्रवाई हो सकती है और अगर अनुबंध पहले से ही दिया जा चुका है तो इस कारण से उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

धारा 6: सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों / सब कान्ट्रैक्टरों के साथ समान व्यवहार।

1. प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उप ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ एकरूपता से समझौते को देखेंगे।
2. जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं प्रिंसिपल उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देंगे।

धारा 7: बोलीदाताओं / ठेकेदारों / सब कान्ट्रैक्टरों के उल्लंघन के खिलाफ आपराधिक आरोप

प्रिंसिपल अगर बोलीदाता / कान्ट्रैक्टर / उप ठेकेदारों की कोई ऐसी सूचना प्राप्त करता है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है या इस संबंध में ठोस संदेह हो तो इस सम्बंध में प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे

धारा 8: स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर / मॉनिटर्स

1. प्रिंसिपल इस संधि के लिए विश्वसनीय सक्षम और स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर नियुक्त कर सकती है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है और देखना है कि किस हद तक पार्टियों को इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।
2. मॉनिटर पार्टियों और प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निष्पक्षता से और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने के अधीन नहीं है यह उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वह बोलीदाताओं / ठेकेदारों के दस्तावेजों की जानकारी गोपनीय रखे. वह एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करें.
3. बोलीदाता / कान्ट्रैक्टर को स्वीकार करना मानीटर को अधिकार है कि वह प्रिंसिपल को ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज की जानकारी रखे. ठेकेदार मानीटर को उनके अनुरोध पर बिना शर्त उसकी परियोजना प्रलेखन के लिए एक वैध ब्याज और अनुदान देगा. यह उप ठेकेदारों पर भी लागू होता है। मॉनिटर अनुबंध के दायित्व के अधीन बोलीदाता / कान्ट्रैक्टर/ उप ठेकेदार की सूचना और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखेगा।

4. प्रिंसिपल मॉनिटर को परियोजना से संबंधित दलों के बीच सभी ऐसी बैठकों जिनका प्रिंसिपल और ठेकेदार के बीच संबंधों के बीच संविदात्मक प्रभाव हो सकता है के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा। पार्टियां मॉनिटर को इस तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए विकल्प प्रदान कराती हैं।
5. मॉनिटर जैसे ही इस समझौते का उल्लंघन की सूचना प्राप्त करते हैं वह तत्काल प्रिंसिपल के प्रबंधन को सूचित करेंगे और प्रबंधन से इसे बंद करने, सुधारात्मक कार्रवाई, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेंगे। मॉनिटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत करें। इससे परे, मॉनिटर को कोई अधिकार नहीं है वे विशिष्ट तरीके से कार्रवाई करने या कार्रवाई बर्दाश्त अधिनियम के लिए दलों से मांग करें।
6. मॉनिटर एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संदर्भ या सूचना मिलने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसे इस अवसर को देखते हुए, समस्याओं को सुलझा कर सही प्रस्ताव पेश करना है।
7. मॉनिटर एनएफएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदान किए जा रहे या बढ़ाए जा रहे मुआवजे का समान रूप से हकदार होगा।
8. मॉनिटर आईपीसी / पीसी एक्ट के तहत एक अपराध का प्रासंगिक संदेह का प्रमाण की रिपोर्ट नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को देता है और एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इस तरह के अपराध के खिलाफ उचित समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते और सतर्कता अधिकारी को सूचित नहीं करते तो मॉनिटर यह सूचना सीधे तौर पर केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को प्रेषित कर सकते हैं।
9. "मॉनिटर" शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों में शामिल हैं।

धारा 9: संधि अवधि

दोनों दलों के कानूनी तौर पर हस्ताक्षर होने पर यह समझौता शुरू होता है। यह ठेकेदार के लिए पिछले अनुबंध के तहत भुगतान के बाद 12 महीनों के बाद समाप्त होगा और अन्य सभी बोली लगाने वालों के लिए अनुबंध के छह महीने के बाद से साप्त होगा।

अगर इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का दावा किया जाता है तो ऊपर निर्दिष्ट अनुसार यह इस संधि के खारिज होने तक वैध व जारी रखा जाएगा या यह एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा खारिज नहीं किया जाता.

धारा 10: अन्य प्रावधान

- यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन का स्थान और क्षेत्राधिकार प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय यानी नई दिल्ली है।
- परिवर्तन और पूरक बातें समाप्ति नोटिस आदि लिखित रूप में होने जरूरी हैं। साइड समझौतों नहीं किए जाएंगे।
- अगर ठेकेदारी साझेदारी में या एक संघ में है तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

•इस समझौते के एक या कई प्रावधानों को अवैध मानकर बाहर करके इस समझौते के शेष हिस्से मान्य रखने होंगे। इस मामले में, दलों को अपने मूल इरादों के साथ समझौते में दाखिल होना चाहिए।

(प्रिंसिपल की ओर से) (बोलीदाता / ठेकेदार की ओर से)
(कार्यालय की मुहर) (कार्यालय की मुहर)

स्थान _____

दिनांक _____

गवाह 1:
(नाम व पता)

गवाह 2:
(नाम व पता)

गवाह 1:
(नाम व पता)

गवाह 2:
(नाम व पता)

